रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022026-270105
CG-DL-E-13022026-270105

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12, 2026/माघ 23, 1947
No. 709] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 12, 2026/MAGHA 23, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

का.आ. 747(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-135ए के जौनपुर-अकबरपुर खण्ड के किमी0 108.500 से किमी0 139.000 (पैकेज-II) के 4 लेन में चौड़ीकरण (चौड़ीकरण//4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व)/मुख्य राजस्व अधिकारी, जौनपुर को लिखित रूप मे किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपो की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-135ए के जौनपुर-अकबरपुर खण्ड के किमी0 108.500 से किमी0 139.000 (पैकेज-II) के 4 लेन में चौड़ीकरण के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: जौनपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: शाहगंज					
गांव का नाम: कछरा					
1	323	सामान्य	कृषि/नवीन परती	0.117 (हेक्टेयर)	0.117
गांव का नाम: ढढवारा खुर्द					
2	249	सरकारी	नहर	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
3	259	सामान्य	कृषि/बंजर	0.0595 (हेक्टेयर)	0.0595
4	341	निजी	कृषि	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
5	87	निजी	कृषि	0.145 (हेक्टेयर)	0.145
गांव का नाम: रानीमऊ					
6	1696	निजी	कृषि	0.146 (हेक्टेयर)	0.146
7	976/1721	निजी	कृषि	0.064 (हेक्टेयर)	0.064
8	981	सरकारी	सड़क	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
9	984	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
गांव का नाम: महरौड़ा					
10	29	निजी	कृषि	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
11	30	निजी	कृषि	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
12	31	निजी	कृषि	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
13	32	निजी	कृषि	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
14	33	निजी	कृषि	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
15	34	निजी	कृषि	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
16	35	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
17	36	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
18	37	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
19	38	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008

20	39	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
गांव का नाम: चकशाह गयास					
21	20	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
22	21	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
23	371	निजी	कृषि	0.0027 (हेक्टेयर)	0.0027
24	38	निजी	कृषि	0.0038 (हेक्टेयर)	0.0038
25	381	निजी	कृषि	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
26	427	निजी	कृषि	0.0138 (हेक्टेयर)	0.0138
27	428	निजी	कृषि	0.0193 (हेक्टेयर)	0.0193
28	91	निजी	कृषि	0.0009 (हेक्टेयर)	0.0009
गांव का नाम: कनवरिया					
29	346	निजी	कृषि	0.0179 (हेक्टेयर)	0.0179
30	348	निजी	कृषि	0.0226 (हेक्टेयर)	0.0226
31	349	निजी	कृषि	0.0325 (हेक्टेयर)	0.0325
32	427	निजी	कृषि	0.0475 (हेक्टेयर)	0.0475
गांव का नाम: मारूफपुर					
33	26	निजी	कृषि	0.072 (हेक्टेयर)	0.072
34	39	निजी	कृषि	0.0012 (हेक्टेयर)	0.0012
35	55	निजी	कृषि	0.0013 (हेक्टेयर)	0.0013
36	97	निजी	कृषि	0.0135 (हेक्टेयर)	0.0135
गांव का नाम: अक्खीपुर					
37	254	निजी	कृषि	0.0071 (हेक्टेयर)	0.0071
38	323	निजी	कृषि	0.0096 (हेक्टेयर)	0.0096
39	325	निजी	कृषि	0.0031 (हेक्टेयर)	0.0031
गांव का नाम: मनेछा					
40	836	निजी	कृषि	0.0059 (हेक्टेयर)	0.0059
41	841	निजी	कृषि	0.0289 (हेक्टेयर)	0.0289
गांव का नाम: ताखा पश्चिम					
42	1381	निजी	कृषि	0.2238 (हेक्टेयर)	0.2238
43	1384	निजी	कृषि	0.0364 (हेक्टेयर)	0.0364
44	420	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
गांव का नाम: चक गोहरिया					
45	49	निजी	कृषि	0.0824 (हेक्टेयर)	0.0824
गांव का नाम: बरौना					
46	331	सरकारी	नाली	0.0295 (हेक्टेयर)	0.0295

47	337	निजी	कृषि	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
48	341	सरकारी	नाली	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
49	342	निजी	कृषि	0.225 (हेक्टेयर)	0.225
50	366	सरकारी	नवीन परती	0.0787 (हेक्टेयर)	0.0787
51	367	सामान्य	कृषि/नाली	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
52	369	निजी	कृषि	0.0999 (हेक्टेयर)	0.0999
53	370	सरकारी	चकमार्ग	0.0133 (हेक्टेयर)	0.0133
54	371	निजी	कृषि	0.0781 (हेक्टेयर)	0.0781
55	372	निजी	कृषि	0.5455 (हेक्टेयर)	0.5455
56	396	सरकारी	नाली	0.0062 (हेक्टेयर)	0.0062
57	397	सरकारी	नाली	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
58	401	निजी	कृषि	0.0164 (हेक्टेयर)	0.0164
59	402	सरकारी	काली स्थान	0.0072 (हेक्टेयर)	0.0072
60	403	निजी	कृषि	0.0291 (हेक्टेयर)	0.0291
				Total	**3.1032**

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-135A/2022-23/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2026

S.O. 747(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Widening/Four laning), maintenance, management and operation of NH-135A in the stretch of land from Km. 108.5 to Km. 139.00 for Widening to 4 lane from km. 108.50 to km 139.00 of NH-135A Pkg-II (Jaunpur – Akbarpur section) on Hybrid Annuity Mode in the state of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate (L&R)/Chief Revenue Officer, Jaunpur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired for Widening to 4 lane from km. 108.50 to km 139.00 of NH-135A Pkg-II (Jaunpur – Akbarpur section) on Hybrid Annuity Mode in the state of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			**District: JAUNPUR**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Shahganj					
Village: Kachhara					
1	323	Common	Agriculture/Naveen Parti	0.117 (Hectare)	0.117
Village: Dhadhwara Khurd					
2	249	Government	Canal	0.21 (Hectare)	0.21
3	259	Common	Agriculture/Banjar	0.0595 (Hectare)	0.0595
4	341	Private	Agriculture	0.4 (Hectare)	0.4
5	87	Private	Agriculture	0.145 (Hectare)	0.145
Village: Ranimau					
6	1696	Private	Agriculture	0.146 (Hectare)	0.146
7	976/1721	Private	Agriculture	0.064 (Hectare)	0.064
8	981	Government	Sadak	0.05 (Hectare)	0.05
9	984	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
Village: Maharaura					
10	29	Private	Agriculture	0.006 (Hectare)	0.006
11	30	Private	Agriculture	0.006 (Hectare)	0.006
12	31	Private	Agriculture	0.006 (Hectare)	0.006
13	32	Private	Agriculture	0.006 (Hectare)	0.006
14	33	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
15	34	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
16	35	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
17	36	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
18	37	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002

19	38	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
20	39	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
Village: Chakshah Gayas					
21	20	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
22	21	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
23	371	Private	Agriculture	0.0027 (Hectare)	0.0027
24	38	Private	Agriculture	0.0038 (Hectare)	0.0038
25	381	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
26	427	Private	Agriculture	0.0138 (Hectare)	0.0138
27	428	Private	Agriculture	0.0193 (Hectare)	0.0193
28	91	Private	Agriculture	0.0009 (Hectare)	0.0009
Village: Kanwariya					
29	346	Private	Agriculture	0.0179 (Hectare)	0.0179
30	348	Private	Agriculture	0.0226 (Hectare)	0.0226
31	349	Private	Agriculture	0.0325 (Hectare)	0.0325
32	427	Private	Agriculture	0.0475 (Hectare)	0.0475
Village: Maroofpur					
33	26	Private	Agriculture	0.072 (Hectare)	0.072
34	39	Private	Agriculture	0.0012 (Hectare)	0.0012
35	55	Private	Agriculture	0.0013 (Hectare)	0.0013
36	97	Private	Agriculture	0.0135 (Hectare)	0.0135
Village: Akkhipur					
37	254	Private	Agriculture	0.0071 (Hectare)	0.0071
38	323	Private	Agriculture	0.0096 (Hectare)	0.0096
39	325	Private	Agriculture	0.0031 (Hectare)	0.0031
Village: Manechha					
40	836	Private	Agriculture	0.0059 (Hectare)	0.0059
41	841	Private	Agriculture	0.0289 (Hectare)	0.0289
Village: Takha West					
42	1381	Private	Agriculture	0.2238 (Hectare)	0.2238
43	1384	Private	Agriculture	0.0364 (Hectare)	0.0364
44	420	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001

Village: Chak Gohariya					
45	49	Private	Agriculture	0.0824 (Hectare)	0.0824
Village: Barauna					
46	331	Government	Nali	0.0295 (Hectare)	0.0295
47	337	Private	Agriculture	0.009 (Hectare)	0.009
48	341	Government	Nali	0.02 (Hectare)	0.02
49	342	Private	Agriculture	0.225 (Hectare)	0.225
50	366	Government	Naveen Parati	0.0787 (Hectare)	0.0787
51	367	Common	Agriculture/Nali	0.0016 (Hectare)	0.0016
52	369	Private	Agriculture	0.0999 (Hectare)	0.0999
53	370	Government	Chakmarg	0.0133 (Hectare)	0.0133
54	371	Private	Agriculture	0.0781 (Hectare)	0.0781
55	372	Private	Agriculture	0.5455 (Hectare)	0.5455
56	396	Government	Nali	0.0062 (Hectare)	0.0062
57	397	Government	Nali	0.016 (Hectare)	0.016
58	401	Private	Agriculture	0.0164 (Hectare)	0.0164
59	402	Government	Kali Sthan	0.0072 (Hectare)	0.0072
60	403	Private	Agriculture	0.0291 (Hectare)	0.0291
				Total	**3.1032**

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-135A/2022-23/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.02.13 16:03:48 +05'30'